



अमृत मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश



सेवा में,

- 1- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 3- डिप्टी टीम लीडर, पी०डी०एम०सी०, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- 4- नगर आयुक्त, नगर निगम, 1. लखनऊ, 2. अलीगढ़, 3. सहारनपुर, 4. झाँसी, 5. गोरखपुर, 6. मुरादाबाद, 7. आगरा, 8. वाराणसी, 9. कानपुर, 10. फिरोजाबाद, 11. गाजियाबाद, 12. मेरठ, 13. बरेली, 14. इलाहाबाद, 15. मथुरा, 16. आयोध्या।
- 5- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, 1. शिकोहाबाद, 2. एटा, 3. हाथरस, 4. कासगंज, 5. मैनपुरी, 6. फतेहपुर, 7. फर्रुखाबाद, 8. इटावा, 9. रायबरेली, 10. सुल्तानपुर, 11. हरदोई, 12. लखीमपुर, 13. उन्नाव, 14. सीतापुर, 15. देवरिया, 16. मुगलसराय, 17. जौनपुर, 18. गाजीपुर, 19. शाहजहापुर, 20. बदायूँ, 21. पीलीभीत, 22. मुजफ्फरनगर, 23. शामली, 24. मोदीनगर, 25. लोनी, 26. बड़ौत, 27. खुर्जा, 28. बुलन्दशहर, 29. हापुड, 30. चन्दौसी, 31. रामपुर, 32. सम्भल, 33. अमरोहा, 34. उरई, 35. बांदा, 36. ललितपुर, 37. मऊनाथभंजन, 38. आजमगढ़, 39. बलिया, 40. बहराइच, 41. अकबरपुर, 42. गोण्डा, 43. मिर्जापुर, 44. बस्ती।

द्वारा- जिलाधिकारी

पत्रांक: एसएमएमयू/ 1748 / 519(10-सी) / 2017 लखनऊ::दिनांक 30 अक्टूबर, 2017

विषय: Waste Water Recycling & Reuse Policy 2017 के प्राख्यापन के सन्दर्भ में।

महोदय,

अमृत सुधारों के अन्तर्गत Waste Water Recycling & Reuse Policy प्राख्यापन किया जाना अपेक्षित है। राज्य स्तरीय प्रस्तावित नीति का आलेख (साफ्ट कापी-वर्ड फाईल) इस उद्देश्य से संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है कि प्रस्तावित नीति का भलीभांति अध्ययन और परीक्षण कर लिया जाय और प्रस्तावित नीति में आपके अभिमत के अनुसार प्रस्तावित नीति-2017 के आलेख (Draft) में जो संशोधन अपेक्षित हो उन्हें इसी वर्ड फाईल में जोड़ कर/घटाकर संशोधित आलेख दिनांक 10.11.2017 तक ई-मेल smmuup.amrut@gmail.com पर मिशन निदेशालय को उपलब्ध करा दिए जाये। इस सन्दर्भ में यदि कोई जिज्ञासा हो तो श्री के० के० अग्रवाल, टीम लीडर-एसएमएमयू, दूरभाष संख्या-2288874 तथा श्री उदयवीर सिंह राठौर, कैपेसिटी बिल्डिंग एवं अर्बन रिफार्मस स्पेशलिस्ट-एसएमएमयू, मो० 8572986998 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि प्राथमिता के आधार पर प्रस्तावित नीति-2017 पर अपने अभिमत के अनुसार संलग्न वर्ड फाईल को संशोधित कर (वर्ड फार्मेट में तथा एक पी०डी०एफ० फार्मेट साहित) दिनांक 30.10.2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: प्रस्तावित नीति।

भवदीय,


(डा० अनिल कुमार सिंह)
राज्य मिशन निदेशक (अमृत)

पु०सं० 1/2

संख्या एवं दिनांक: तदैव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4— अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
- 5— समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, उ0प्र0।
- 6— समस्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, उ0प्र0।
- 7— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ0प्र0।


(डा0 अनिल कुमार सिंह)
राज्य मिशन निदेशक (अमृत)